निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :—127/11
दायरा दिनांक :— 5·10·11
निर्णय दिनांक :— 20·9·22

उनवन

रामभरोस पुत्र मोतीलाल जाति रेगर निवासी राज के कुए के पास, शाहबाद बारां

—वादीगण

बनाम

1. शिवलाल पुत्र बजरंगलाल जाति चमार निवासी राज के कुए के पास, शाहबाद
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां राज0
3. श्रीमति द्वारकाबाई पुत्री शिवलाल पत्नि बंशीलाल जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला कोटा रोड के पास सागोद जिला कोटा राज0
4. श्रीमति जानकी बाई पत्नि शिवलाल नाता पत्नि भवंरलाल जाति रेगर निवासी वार्ड नं0 14 रेगरों के मन्दिर के पास मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांक :— 20·9·22

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री हरिओम चर्तुवेदीएड0—वादी
2. श्री घनश्याम अग्रवाल एड0—वादी
3 श्री डी0 एस0 चौधरी एड0 —प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा88, 89राज0 टि0 एक्टविरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया ग्राम माल सुसवान तहसील बारां जिला बारां राजस्थान की हाल खेवट खतौनी226 के खसरा नं. 89 रकबा 0.1800 बारानी प्रथम एवं खसरा नं. 97 रकबा 0.8400 बारानी प्रथम कुल किता 2 रकबा 0.0200 है0 आराजियात स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शिवलाल, रामभरोस पुत्र मोतीलाल जाति चमार निवासी बारां के नाम खाते दर्ज है। उक्त आराजी के साबिक खसरा नं. 85 रकबा 6 बीघा है। उक्त आराजी को वाद पत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजी के साबकि खसरा नं. 897/25 मिन 5 बीघा 15 बिस्वा बखाता बशीर मोहम्मद के खाते में थी जो वादी के पिता स्व0 मोतीलाल [illegible] रूपये में सम्वत् 2004 में नीलामी बोली लगाकर कय की थी। जिसका सर्टिफिकेट [illegible] तहसील बारां द्वारा प्रार्थी को जारी किया गया था। उक्त आराजी स्व0 मोतीलाल की स[illegible]त आराजी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

बृज रामलाल के तीन पुत्र क्रमशः मन्नालाल, मोतीलाल व गुलाबचन्द थे। मोतीलाल के इकलौता पुत्र वादी रामभरोस है व गुलाबचन्द का इकलौता पुत्र शिवलाल था जो 22 वर्ष पूर्व मर चुका है। मृतक शिवलाल की पत्नि जानकी बाई शिवलाल की मृत्यु उपरान्त नाता चली गयी। शिवलाल की एक मात्र जीवित वारिस द्वारका बाई है। वादी के बाल्यकाल में ही उसके पिता मोतीलाल का देहान्त हो गया। मृतक स्वर्गीय मोतीलाल क फोती नामान्तरण संख्या 140 खोलते समय हल्का पटवारी ने मृतक मोतीलाल के दो पुत्र शिवलाल व रामभरोस के नाम से नामान्तरण दिनांक 02.09.1969 तस्दीक करवा दिया। उक्त नामान्तरण प्रारम्भतः शून्य व अवैध नामान्तरण होने से वादी के हक हकूक के विरूद्ध अमान्य है। उक्त अवैध एवं शून्य नामान्तरण से वादी रामभरोस के साथ शिवलाल का नाम राजस्व जमाबन्दी 2023–26 में दर्ज कर दिया इस कारण वादी नामान्तरण सं. 140 को निरस्त करवा कर शिवलाल का नाम राजस्व रिकार्ड से दाखिल खारिज कर उक्त आराजी का एक मात्र खातेदार कृषक होने की विधिक प्रास्थिकी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। राज्य सरकार सर्वोच्च भूधारक होने से इस वाद में राजस्थान सरकार को जर्ये तहसीलदार पक्षकार बनाया गया है। वाद घोषणा बाबत होने से प्रतिवादी क्रम 2 राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का वैधानिक नोटिस दिनांक 02.082011 को प्रेषित कर दिया है। नोटिस की अवधि दिनांक 01.10. 2011 को समाप्त हो गयी है। वाद कारण नोटिस अवधि समाप्ति दिनांक 01.10.2011 को राज्य सरकार द्वारा नोटिस की पालना नहीं करने पर तहसील बारां क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सुसावन तहसील बारां में स्थित है। विवादित आराजी के पिता मोतीलाल द्वारा 105/– रु. में सम्वत् 2004 के नीलामी बोली लगाकर क्रय की थी जिसका सर्टिफिकेट तहसीलदार बारां द्वारा जारी किया गया था। मोतीलाल का एक पुत्र वादी रामभरोस था। किन्तु मोतीलाल की मृत्यु पर खोला गया फोती नामान्तरण सं. 140 दिनांक 02.09.1969 में वादी रामभरोस के साथ–साथ प्रतिवादी शिवलाल का नाम गलत तोर पर दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादी शिवलाल मृतक मोतीलाल का पुत्र नहीं था। ना ही वादी का भाई था वह तो गुलाबचन्द का पुत्र था तथा उसकी मृत्यु भी लगभग 22वर्ष पहले ही हो चुकी थी इसलिए प्रतिवादी शिवलाल का नामान्तरण 140 से जो गलत अकंन हुआ है उसे खारिज किया जावे एवं विवादित आराजी का वादी रामभरोस को एक मात्र खातेदार घोषित किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है वादी का वाद स्वीकार करने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस अभिभाषक उभय श्रवण कराई गई। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम सुसावन सम्वत् 2067–70 के अनुसार वर्तमान में विवादित आराजी वादी रामभरोस एवं प्रतिवादी शिवलाल के संयुक्त खाते में

(3)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:24:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल प्रर्दश 3 व प्रर्दश 4 के अनुसार विवादित आराजी को वादी के पिता मोतीलाल द्वारा नीलामी में कय की थी जिसका सर्टिफिकेट नीलाम जारी किया गया था एवं उक्त आराजी खसरा नं. 85 रकबा 6 बीघा साबिक जमाबंदी सम्वत् 2023–26 के अनुसार मोतीलाल के तन्हा खाते में हो रही है प्रस्तुत पारिवारिक सजरा अनुसार वादी मोतीलाल का एक मात्र पुत्र है। किन्तु मोतीलाल की मृत्यु के वाद फोती नामान्तरण 140 दिनांक 02.09.1969 में मोतीलाल का वादी रामभरोस के साथ–साथ प्रतिवादी शिवलाल को भी गलत तोर पर पुत्र बताकर उसका नाम अंकित किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत परिवार के सजरे जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ उसके अनुसार वादी रामभरोस खातेदार मोतीलाल का एकमात्र पुत्र है प्रतिवादी शिवलाल का नामान्तरण सं. 140 से गलत अंकित होना साबित हैं चूंकि उक्त आराजी नीलामी से वादी के पिता मोतीलाल द्वारा कय की गई थी। इसलिए केता मोतीलाल की मृत्यु पर उक्त आराजी में तन्हा वादी का ही नाम दर्ज होना चाहिए था। प्रतिवादी शिवलाल का नाम गलत तोर पर अंकित किया जाना साबित होता है। प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा भी बहस के दौरान वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होना बताया है तथा दावा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी शिवलाल का नाम खाते से खारिज कर विवादित आराजी पर वादी को तन्हा खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम सुसवान तहसील बारां के खसरा नंबर 89 रकबा 0.18 है0 व खसरा नं0 97 रकबा 0.84 है0 में से प्रतिवादी कम 1 शिवलाल का नाम खाते से खारिज किया जाकर वादी रामभरोस को सम्पूर्ण भूमि पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

...या 127/11	धारा अंतर्गत 88, 89 RTA	निर्णय दिनांक 20.9.22
...म. श्री हिमांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री [illegible]		अभिभाषक प्रतिवादी श्री [illegible]

वाद शीर्षक

रामभरोस पुत्र मोतीलाल जाति रेगर निवासी राज के कुए के पास बारां तहसील बारां

बनाम

1. शिवलाल पुत्र बजरंगलाल जाति चमार निवासी राज के कुए के पास बारां तहसील बारां
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बारां
3. श्रीमति [illegible] पुत्री शिवलाल पत्नी [illegible] जाति रेगर नि. [illegible] के पास [illegible] जिला कोटा
4. श्रीमति [illegible] पत्नी शिवलाल जाति [illegible] जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 15 रेगरों के मोहल्ले के पास [illegible] जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम [illegible] तह० बारां के ख० नं० 89 रकबा 0.18 हे० व ख० नं० 97 रकबा 0.84 हे० में से खातेदारी कृषक शिवलाल का नाम खाते से खारिज किया जाकर वादी रामभरोस को सम्पूर्ण भूमि पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 20.9.22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:22:35 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		

Scanned with CamScanner